(क) उन अर्द्धसैनिक बलों का ब्यौरा जहां मुसलमानों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है; और

(ख) हरेक मामले में औचित्य क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) : अर्ध सैनिक बलों में मुसलमानों के दाढ़ी रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 14 दिसंबर, 1988 के आदेश संख्या I-45020/19/88-पैरा-।। के तहत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को ये निदेश दिए हैं कि मुसलमान समुदाय से संबंधित बल के सदस्य को धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति प्रदान की जाए। एक बार ऐसी अनुमति दिए जाने के बाद संबंधित सदस्य को अपनी शेष सेवा अवधि में तब तक लगातार दाढ़ी रखनी होगी जब तक कि लिखित अनुरोध पर दाढ़ी हटाने की अनुमति न दी जाए।**

**(ख) : उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता है।**